संख्या-217/2015-3870/नौ-5-15-135बजट/2012

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पालिका परिषद जसवन्तनगर जनपद इटावा में पेयजल पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु तृतीय/अन्तिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-77/नागर-2/033-410/15, दिनांक 20.06.2015 के संदर्भ में शासनादेश सं0-4730/नौ-5-2012-135बजट/12, दिनांक 29.03.2013, शासनादेश सं0-4099/नौ-5-2014-135बजट/2012, दिनांक 19.08.2014, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पालिका परिषद जसवन्तनगर जनपद इटावा में पेयजल पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 480.98 लाख सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में रू0 239.98 लाख (दो करोड़ उन्तालिस लाख अटठान्नवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि को कार्य योजना के पूर्ण होने, कार्यगुणवत्ता के साथ क़राये जाने की पुष्टि करने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवमुक्त की जायेगी।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

go finance mangal font

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदो को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-217/2015-3870/नौ-5-15-135बजट/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/इटावा ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जसवन्तनगर, इटावा ।
5 निदेशक, नगरीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नित्रयण) अनुभाग-8/9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. मुख्य अभियंता (का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, कानपुर ।
10 अधिशासी अभियंता, तृतीय खण्ड, उ0प्र जल निगम इटावा ।
11 गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

shashinadesh.up.nic.in/info

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-30/06/2015

प्रेषण संख्या:- 217-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-217-2015-3870-9-5-15-135B-2012

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	23998000	23998000
		प्रगामी	135610000	135610000
	योग	वर्तमान	23998000	23998000
		प्रगामी	135610000	135610000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ उनचालीस लाख अठानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ छप्पन लाख दस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव